संख्या-37/2020/1081/12-5-2020-ब0-06/2019

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 26 नवम्बर, 2020**

विषयः- क्राप कटिंग प्रयोगों के सम्पादन के लिए डिजिटल व्हेइंग स्केल, मेजरिंग टेप, जरीब क्रय हेतु वर्तमान में जेम पोर्टल पर उपलब्ध विशिष्टियां, नियम व शर्तों को अनुमोदित करते हुए प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एस-753/2020-21/क्राप कटिंग, दिनांक 03.09.2020 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 03-कृषि आंकड़ो में सुधार परियोजना के अन्तर्गत मानक मद 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू० 100.00 लाख में से क्राप कटिंग प्रयोगों हेतु राजस्व कार्मिकों को क्षतिपूर्ति मद में मजदूरी व मानदेय में रू० 80/- प्रति प्रयोग तथा क्षतिपूर्ति (42-अन्य व्यय) में रू० 100/- प्रति प्रयोग अर्थात् कुल धनरशि रू० 75.00 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू० 25.00 लाख उपकरणों के क्रय हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

- योजनान्तर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आपका होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी सांख्यिकी विधि के अनुरूप आवश्यक उपकरण ही क्रय किये जायेंगे।
- सभी सामग्री का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा तथा क्रय संबंधी समस्त निर्गत निर्देशों का पालन किया जाए।

भवदीय
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in